न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
आवेदकगण बनाम प्रकाशचन्द व अन्य
प्रकरण 143/2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पत्रावली दिनांक 14/12/23 को पेश है। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	14/12/23	पत्रावली पेश की। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस श्रवण कर पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 18/12/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	18/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश के लिए पेश की गई। वकील वादी की बहस को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल फर्जी रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। अतः उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फर्जी रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अस्थाई मनाही हुक्म वादी का वाद अस्थाई रूप से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती की जावे तथा वाद प्रति होकर दाखिल दफ्तर हो। 18/12/23 उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़